राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद,
शासन सचिवालय, जयपुर।

क्रमांक एफ 4(9)आरडी/आरई/एनएलएम/पार्ट-II/08 जयपुर, दिनांक 5 APR 2010

आदेश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कियान्वयन की मॉनिटरिंग, कार्यो का निरीक्षण एवं योजना के कियान्वयन से जुडी शिकायतों की जांच के निस्तारण हेतु सेवानिवृत अधिकारियों को चयन कर राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक (स्टेट लेवल ऑब्जर्वर) के रूप में नियुक्त किया जाता है. राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों (सेवा निवृत अधिकारियों) की चयनित सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है तथा यह चयनित सूची दिनांक 31.03.2011 तक ही मान्य होगी।

उपरोक्त चयनित राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों का चयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जाता है-

1. **मानदेय :-**

चयिनित राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक (S.L.O) को योजना की कियान्विति की मॉनीटरिंग, कार्यो का निरीक्षण एवं योजना के कियान्वयन से जुड़ी शिकायतों की जांच करने हेतु किसी भी जिले में भेजा जा सकता है। पर्यवेक्षक को परिषद द्वारा आवश्यकतानुसार कभी भी कार्य दिया जा सकता है, परन्तु यह भी आवश्यक नहीं है कि परिषद द्वारा राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक को उक्त वर्णित में से कोई कार्य दिया ही जावें। किये जाने वाले कार्य हेतु पर्यवेक्षक के निवास स्थान के पते पर परिषद द्वारा सूचित किया जायेगा। राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक पत्र में वर्णित कार्य को निर्धारित अवधि में संपादित कर परिषद को रिपोर्ट कोरियर/डाक द्वारा प्रस्तुत करेंगे। पर्यवेक्षक को माह में अधिकतम **दस दिवस** का मानदेय प्रतिदिन राशि रूपये 1000/- की दर से देय होगा। यह भत्ता कार्य करने दिवस के आधार पर ही देय होगा।

S.L.O. को संबंधित जिले में भ्रमण के दौरान जांच रिपोर्ट के साथ साथ उसी क्षेत्र में प्रतिदिन कम से कम दो ग्राम पंचायतों में प्रत्येक में दो कार्यो का निरीक्षण कर निर्धारित प्रारूप में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। पर्यवेक्षक यदि एक ही जिले में दस दिन तक रहता है तो उस दौरान पर्यवेक्षक को दी गयी सभी जांच के साथ साथ उस क्षेत्र में आने वाले कार्यकम अधिकारी (नरेगा) के कायालयों का निरीक्षण एवं उस क्षेत्र में आने वाली कम से कम दो ग्राम पंचायतों के कार्यालयों का भी निरीक्षण करेंगे, तथा भ्रमण के पश्चात रिपोर्ट **सात दिवसों** में परिषद को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे। (पर्यवेक्षक को भ्रमण के दौरान निवास स्थान से संबंधित जिले तक तथा संबंधित जिले से निवास स्थान तक की गयी यात्रा (Journey Period) के दौरान मानदेय भत्ता देय नहीं होगा)। मानदेय हेतु परिषद से कोई अग्रिम राशि देय नही होगी।

2. **यात्रा एवं ठहराव भत्ता देय :-**

चयनित राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों को उक्त पैरा में वर्णित कार्यो हेतु संबंधित जिला में भ्रमण के दौरान निम्नानुसार स्थानीय परिवहन, किराया, भोजन एवं ठहराव भत्ता देय होगा :-

(अ) पर्यवेक्षक के उनके निवास स्थान से संबंधित जिले तक जाने व वापिस निवास स्थान तक आने हेतु वास्तविक बस किराया (डीलक्स बस तक का) या वास्तविक रेल किराया (A.C. II Tier तक का) देय होगा।

(ब) पर्यवेक्षक को भ्रमण के दौरान संभागीय स्तर के जिलों पर राशि रूपये 500/- तथा अन्य जिला स्तर/ब्लॉक स्तर पर राशि रूपयें 400/- प्रतिदिन ठहरने, भोजन व्यवस्था एवं स्थानीय परिवहन सहित (रेल्वे स्टेशन/बस स्टैण्ड से आने जाने) देय होगी।

(स) पर्यवेक्षक को भ्रमण के दौरान ठहरने, भोजन व्यवस्था इत्यादि अधिकतम दस दिवस तक देय होगा।

(द) यात्रा एवं ठहराव हेतु परिषद से कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगी।

3. **भ्रमण हेतु वाहन व्यवस्था** :- चयनित राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों को बिन्दु संख्या 1 में वर्णित कार्यो हेतु संबंधित जिलो में पहुचने के पश्चात भ्रमण के दौरान वाहन की व्यवस्था संबंधित जिले द्वारा की जावेगी जिसके लिए उन्हें भ्रमण करने से पूर्व संबंधित जिला कलैक्टर एवं जिला कार्यकम समन्वयक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जिला परिषद को अग्रिम सूचना देनी होगी, जिससे वह जिले में भ्रमण हेतु वाहन की व्यवस्था कर सकें।

4. **अन्य व्यय प्रतिपूर्ति राशि** :- चयनित राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों को बिन्दु संख्या 1 में वर्णित कार्यो की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। प्रति शिकायत जांच रिपोर्ट मय दस्तावेज (अनियमितता पाये जाने पर दोषी कर्मचारी/अधिकारी/पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए आरोप पत्र, आरोप विवरण पत्र एवं आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की जावे) के टंकण कराने/फोटोस्टेट कराने/कोरियर/डाक खर्चा हेतु राशि रू. 100/- देय होगी। प्रत्येक शिकायत की जांच रिपोर्ट मय दस्तावेज के तीन प्रति में प्रस्तुत करेगे। ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी, ईजीएस कार्यालयों की निरीक्षण प्रति रिपोर्ट की टंकण कराने फोटोस्टेट कराने/कोरियर/डाक खर्चा हेतु राशि रू0 30/- देय होगी। प्रत्येक निरीक्षण रिपोर्ट मय दस्तावेज सहित दो प्रति में प्रस्तुत करेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक कार्य की निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारुप में टंकण/फोटोस्टेट कराने/कोरियर/डाक खर्चा हेतु राशि रू0 30/- प्रति रिपोर्ट देय होगी तथा दो प्रति में प्रस्तुत करेगें। इस कार्य हेतु परिषद से कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगी।

5. **क्लेम बिल प्रस्तुत करना** :- प्रत्येक राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक संबंधित जिले का भ्रमण समाप्त करने के पश्चात जिले की शिकायतों की जांच रिपोर्ट, ग्राम पंचायत/कार्यक्रम अधिकारी नरेगा कार्यालयों के निरीक्षण रिपोर्ट तथा कार्यो की निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत के साथ ही मानदेय, यात्रा एवं ठहराव भत्ता तथा अन्य व्यय प्रतिपूर्ति राशि का बिल निर्धारित प्रारूप में अधिघोषणा के साथ परिषद को प्रस्तुत करेंगे। जिसका भुगतान सत्यापन के आधार पर ही किया जावेगा अन्यथा नहीं।

6. **राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों को चयनित सूची से हटाये जाने के कम में** :-

(अ) परिषद द्वारा चयनित राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों को आवश्यकतानुसार कार्य का आवंटन किया जायेगा। आवश्यकता नही होने पर उन्हे कार्य आवंटन करना आवश्यक नही है।

(ब) बिन्दु संख्या 1 से 4 तक के निर्देशों की अनुपालना में राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक का कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर कभी भी चयनित सूची से पृथक किया जा सकता है।

(स) परिषद द्वारा चयनित राज्य स्तरीय पर्यवेक्षकों के संबंध में सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने पर कभी भी चयनित सूची से पृथक किया जा सकता है एवं उनके विरूद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

(द) सेवानिवृत अधिकारी जिनका राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक के रूप में चयन किया है, यदि उनके विरूद्ध हुई सेवा अवधि में किसी कार्यवाही में उन्हें दोषी ठहराया गया है तो परिषद की जानकारी में आने पर उन्हें कभी भी चयनित सूची से पृथक किया जा सकता है।

7. **अन्य शर्ते :-**

अन्य शर्ते एवं निर्देश जो भारत सरकार, राज्य सरकार एवं परिषद द्वारा समय समय पर जारी किये जावेंगे। वे नियमानुसार लागू होंगे।

चयनित अभ्यार्थियों को दिनांक 03.05.2010 को प्रातः 9.30 बजे इन्दिरा गांधी पंचायत राज एंव ग्रामीण विकास संस्थान, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में अपने मूल दस्तावेज (जैसे-स्नातक उपाधि, सेवानिवृत आदेश पी.पी.ओ. सहित) एवं संलग्न विवरण- अधिघोषणा पत्र परिशिष्ट 2 के साथ एक दिवसीय प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होवें। उक्त प्रयोजन हेतु नियमानुसार यात्रा भत्ता देय होगा। यदि चयनित राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक उक्त प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहते है तथा निर्धारित विवरण-अधिघोषणा पत्र प्रस्तुत नहीं करते है तथा उक्त दस्तावेजों की जांच उपरान्त यदि कोई दस्तावेज अनुचित/गलत पाया गया तो उनका चयन स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

संलग्नः

1 चयनित अभ्यार्थियों की सूची परिशिष्ट 1

2 विवरण-अधिघोषणा पत्र परिशिष्ट 2

1/5/10

(तन्मय कुमार)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद
एवं आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय।
2 विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रा.वि.एवंपं राज विभाग, जयपुर।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवंपं. राज विभाग, जयपुर।
4 निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
5 निजी सचिव, निदेशक, इन्दिरा गांधी पंचायत राज एवं ग्रा.वि. संस्थान, जयपुर।
6 लेखा शाखा, ईजीएस, जयपुर।
7 संबन्धित श्री ....।
8 रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त आयुक्त, प्रथम (ईजीएस)

–: राज्य स्तरीय मॉनीटर्स की सूची :–

क्र.सं.	नाम	पता एवं टेलीफोन नं.
1.	श्री जी.डी.वरिन्दानी	444, ठाकुर भवन, केशव नगर, वैशाली नगर, अजमेर, राजस्थान।
2.	" सीताराम शर्मा	140, बी–विजयवाड़ी, पथ नम्बर 1 ढेहर का बालाजी. पी.एन.बी.बैंक वाली गली, सीकर रोड़, जयपुर। फोन न.2231350 मो.न.9414906987
3.	" रमेश शिनाय	फ्लैट न.1, प्लाट न.डी–848, श्रीफल अपार्टमेन्ट. मालवीय नगर, जयपुर।
4.	" जयराम बुरड़क	मु. पोस्ट भरनावां, तहसील लाडनूँ, जिला–नागौर राजस्थान। फोन न.01581–225229 मो.न.941458798[illegible]
5.	" हंस राज सोनी	सोनीपाड़ा, जैसलमेर, पिन न.345001 फोन न.02992–252913 मो.न.09982249552
6.	" सी.एम.जैन	3ढ 10, सैक्टर 5, उदयपुर। फोन न.0294–2464231 मो.न.09928420523
7.	" तुलसीराम जोशी	मु.पोस्ट–ठीकरीया, दाहोद रोड़, जिला–बॉसवाड़ा। मो.न.9414567069
8.	" डा. जे.सी.शर्मा	ए–123, शास्त्रीनगर, भीलवाड़ा।
9.	" कन्हैयालाल गोरानी	बी–182, मालवीय नगर, जयपुर। फोन न. 2521435 मो.न. 9414775424
10.	" बी.आर.छीपा	37, स्टॉफ कालोनी, एस.के.एन.कृषि महाविद्यालय. जोबनेर, जिला–जयपुर, राजस्थान। मो.न. 9414820562
11.	" घनश्यामदास किराडू	साले की होली का चौक, पीरुदान जी की गली के अन्दर, बीकानेर, राजस्थान। फोन न. 0151–2525884 मो.न. 99823377[illegible]
12.	" उमेश तोमर	211, हिम्मत नगर, गोपालपुरा मोड़, टोंक रोड़, जयपुर, राजस्थान। फोन न. 0141–2707957 मो.न. 94143389[illegible]
13.	" ए.पी.माथुर	सी–19, ज्योति मार्ग, बापू नगर, जयपुर, राजस्थान। फोन न. 0141–2709085 मो.न 9829118085

14.	" मनमोहन शर्मा	75, शास्त्रीनगर, टोंक, राजस्थान।
15.	" रूपलाल डामोर	कुशल मगरी, पोस्ट-बल्डी, डूंगरपुर, राजस्थान। मो.न. 9414238047
16.	" सुनील कुमार झा	1/1, मधुवन कालोनी, हाथीकुण्ड के पास, सैंथी, चित्तौड़गढ, राजस्थान।
17.	श्रीमती रईसा जिलानी	मजीद मंजिल, भवानी मण्डी, जिला-झालावाड़, राजस्थान। मो.न. 9414420766, 9413002249
18.	श्री बी.एम.कश्यप	म.न. 60/189, हीरापथ, न्यू सॉगानेर रोड़, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। फोन न. 3143377 मो.न. 9351302794
19.	" अरुण कुमार अजमेरा	3670, अजमेरा भवन न.2, मोतीसिंह भोमियों का रास्ता, जौहरी बाजार, जयपुर।।
20.	" नवीन्द्र कुमार कोठारी	दलेल निवास, झालरा बैरा, द्वितीय पोल के बाहर, महामन्दिर, जोधपुर। फोन न. 0291-2544610 मो.न. 9413741348
21.	" रामदयाल गुप्ता	11, दशहरा कोठी के बाई तरफ, गोविन्द नगर पूर्व, आमेर रोड़, जयपुर। फोन न. 0141-2631781 मो.न. 9314733464
22.	" सी.बी.शर्मा	303, ईडन गार्डन, बजाज नगर एनक्लेव, जयपुर। फोन न. 0141-2704157 मो.न. 9829015876
23.	" मांगीलाल शर्मा	ए-261, त्रिवेणी नगर, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। फोन न. 0141-2760873
24.	" मान मल दक	मानप्रकाश 42, दयानन्द कालोनी, देव नगर, टोंक रोड, जयपुर। फोन न. 0141-2708731 मो.न. 946038627[illegible]
25.	" एस.सी.सोनी	37, अशोक विहार एक्सटेंशन, गोपालपुरा बाईपास, त्रिवेणी सर्किल के पास, जयपुर, राजस्थान। फोन न. 0141-2502483 मो.न. 941334078[illegible]
26.	" मनोहरलाल माहुर	2/18, मालवीय नगर, जयपुर। फोन न. 0141-2526062 मो.न. 9414441194

अतिरिक्त आयुक्त, प्रथम (ईजीएस)

परिशिष्ट–2

राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक का विवरण एवं अधिघोषणा पत्र

1. नाम पिता / पति का नाम

2 जन्म तिथि आयु (01.01.2010 को)...........वर्ष...........माह

3 सेवा निवृति दिनांक पद विभाग
पी.पी.ओ.न.
(फोटोप्रति संलग्न करें)

4 सेवानिवृति के समय कुल मासिक परिलब्धियॉं
(Total monthly emolunments)

5 शैक्षणिक योग्यता

6 स्थायी पता / पत्र व्यवहार का पता

7 टेलीफोन नम्बर मो.न.

8 ई मेल आई डी

9 बैंक खाता संख्या बैंक का नाम
स्थान

मै घोषणा करता / करती हूं कि उक्त सूचना सही है। मेरी सत्यनिष्ठा एवं सेवा के दौरान कार्य अच्छा रहा है तथा मेरे विरूद्ध सेवा अवधि में किसी प्रकार का आरोप, प्रतिकूल प्रविष्ठि सजा–दण्ड एवं सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने संबन्धी कोई विभागीय कार्यवाही नहीं हुई है एवं विचाराधीन भी नही है। इसमें किसी प्रकार का तथ्य मेरे द्वारा छिपाया नही गया है।

स्थान
दिनांक हस्ताक्षर